(3311)

संख्या-3310/सोलह-1-2015-176/98

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
3. निदेशक, बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
4. निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुलतानपुर।
5. निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
6. निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनिरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, लखनऊ।
7. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बॉदा/बिजनौर/अम्बेडकर नगर/आजमगढ़।
8. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज/मैनपुरी/सोनभद्र।
9. प्राचार्य/अधिष्ठाता, वास्तुकला संकाय, यू0पी0टी0यू0, लखनऊ।
10. कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 27 नवम्बर, 2015

विषय- **प्रदेश के अभियंत्रण संस्थाओं में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश में संचालित शासकीय अनुदानित/घटक/सहयुक्त अभियंत्रण संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये है :-

(1) प्रदेश के सभी अभियंत्रण संस्थाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हताधारी शिक्षकों को ही विहित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिथि व्याख्याता (Guest Faculty) के रूप में नियुक्ति प्रदान किया जाय।

(2) प्रदेश के सभी अभियंत्रण संस्थाओं में अतिथि व्याख्याताओं/संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के चयन हेतु निम्नवत् चयन समिति गठित की जाय एवं चयन समिति की संस्तुति के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायः-

1.	संस्थान के निदेशक/विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष द्वारा नामित सम्बन्धित विषय के अन्य शासकीय संस्थानों के 02 शिक्षक, जो प्रोफेसर/एसो0 प्रोफेसर स्तर से कम न हो।	सदस्य
3.	अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व हेतु संस्थान के निदेशक द्वारा नामित 03 सदस्य।	सदस्य
4.	संस्थान के सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष।	सदस्य-सचिव

-2-

(3) पूर्व में अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-2823/सोलह-1-2010-176/98 दिनांक 26.08.2010 को अवक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हताधारी उपरोक्त प्रक्रिया से चयनित अतिथि व्याख्याताओं को दिये जाने वाला मानदेय रू0 450 प्रति व्याख्यान (contract hour) एवं अधिकतम रू0 30,000/- प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है।

2. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-1(3) में निहित आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11/1283 /दस-2015, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(3) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
(4) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11।
(6) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
अनु सचिव